रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267243
CG-DL-E-29102025-267243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947
No. 703] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 787(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2012 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय (वरिष्ठ तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4.**निरर्हता -** वह व्यक्ति-

जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	210* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-1,42,400 रुपये)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
(11)
प्रोन्नति: कनिष्ठ तकनीकी सहायक अथवा सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये) में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो,और और स्थापना नियमों, आचरण नियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), लेखा, वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानकों, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण आदि के विभिन्न पहलुओं पर दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी / पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी - (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि या कानून में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लागत और संकर्म लेखाकार अथवा कंपनी सचिव। (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन दाखिल की गई विवरणी, दस्तावेजों की तकनीकी संवीक्षा के क्षेत्र में और कंपनी अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों और कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियों द्वारा बनाये गए नियमों के अनुपालन की जांच के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1. -** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2. -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3. -** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना
(12)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - 1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासन का निदेशक अथवा उप सचिव - अध्यक्ष; 2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासन का अवर सचिव - सदस्य; 3. अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12/2/2025-प्र.II-एमसीए]

शान्तनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

G.S.R. 787(E).—–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Corporate Affairs, Senior Technical Assistant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant in the Ministry of Corporate Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs (Senior Technical Assistant) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Technical Assistant.	210* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service,** Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)

Promotion: Junior Technical Assistant or Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training on various aspects of the Establishment Rules, Conduct Rules, the Companies Act, 2013 (18 of 2013), Accounts, Financial Statements, Indian Accounting Standards, National Company Law Tribunal or National Company Law Appellate Tribunal etc.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.

Deputation:

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations —

(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: —

(i) Bachelors degree in Commerce or Economics or Bachelors degree in Law from a recognised university or Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Company Secretary from a recognised university or recognised institute.

(ii) five years experience in the field of technical scrutiny of returns, documents, filed under the Companies Act, 2013(18 of 2013) and in the field of examination of compliances of the provisions of the Companies Act and the rules made thereunder and other related Acts and the rules by companies registered under the Companies Act.

Note 1. — The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. — The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3. —The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotions) consisting of : — 1. Director or Deputy Secretary of Administration, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; 2. Under Secretary of Administration, Ministry of Corporate Affairs – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12/2/2025-Ad.II-MCA]

SANTANU MITRA, Senior Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.29 18:22:23 +05'30'